प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 719 सन 2021

अनवान :–

1. संजय कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र लिछुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र लिछुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
4. तारादेवी पत्नी लिछुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
5. सरोज पुत्री विधादेवी पुत्री लिछूराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
6. संजय कुमार पुत्र विधादेवी पुत्री लिछुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. नितु पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
8. पूनम पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
9. प्रियंका पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
10. पुष्पादपुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 02/10/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता सख्या 259 / 217 की कुल 57.5830है में से 1259 / 57583हिस्सा खाता संख्या 502 / 433 की कुल 2.024हैक एवं रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 137 / 139 की कुल 6.5510हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिछुराम उर्फ लिच्छीराम पुत्र लूणराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिच्छीराम पुत्र लूणराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है लिच्छीराम पुत्र लूणराम का देहान्त हो चुका है लिच्छीराम पुत्र लूणराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो लिच्छीराम पुत्र लूणराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 वादी की बहन /बुआ है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की लिछूराम उर्फ लिच्छीराम पुत्र लूणाराम जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज लिछुराम वल्द लिच्छीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है लिच्छुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जो लिच्छुराम की भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया।

वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता सख्या 259/217 की कुल 57.5830है में से 1259/57583हिस्सा खाता संख्या 502/433 की कुल 2.024हैक एवं रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 137/139 की कुल 6.5510हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिछुराम उर्फ लिच्छीराम पुत्र लूणराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिच्छीराम पुत्र लूणराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है लिच्छीराम पुत्र लूणराम का देहान्त हो चुका है लिच्छीराम पुत्र लूणराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो लिच्छीराम पुत्र लूणराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 वादी की बहन /बुआ है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता सख्या 259/217 की कुल 57.5830है में से 1259/57583हिस्सा खाता संख्या 502/433 की कुल 2.024हैक एवं रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 137/139 की कुल 6.5510हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिछुराम उर्फ लिच्छीराम पुत्र लूणराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि उसके दादा लिच्छीराम वल्द लुणराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने/ ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता सख्या 259/217 की कुल 57.5830है में से 1259/57583हिस्सा खाता संख्या 502/433 की कुल 2.024हैक दोनो खातों में मृतक लिच्छुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के एवं रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 137/139 की कुल 6.5510हैक जो लिच्छुराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/10/2021 को प्रशसन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट बिरकाली

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष -- 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 ... दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. संजय कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 दयाराम पुत्र लिच्छुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र लिच्छुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
4. तारादेवी पत्नी लिछुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
5. सरोज पुत्री विधादेवी पुत्री लिछूराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
6. संजय कुमार पुत्र विधादेवी पुत्री लिछुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. नितु पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
8. पूनम पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
9. प्रियंका पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
10. पुष्पादपुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक- 02/10/2021

आज यह वाद प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो से आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता सख्या 259/217 की कुल 57.5830है में से 1259/57583हिस्सा खाता संख्या 502/433 की कुल 2.024हैक दोनो खातों में मृतक लिच्छुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के एवं रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 137/139 की कुल 6.5510हैक जो लिच्छुराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 वा 3 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/10/2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष -- 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट किकराली

Scanned with CamScanner